महत्वपूर्ण

निदेशालय,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक /बा0वि0परि0/कैम्प/2020–2021 दिनांकः 04 अप्रैल, 2020

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– COVID-19 (नोवेल कोरोना वायरस) के संक्रमण के दृष्टिगत लाकडाउन के दौरान लाभार्थियों को डोर–टू–डोर टेक होम राशन वितरण कराने के सम्बन्ध में।

जैसा कि आप सभी अवगत है कि अम्ब्रेला आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल में अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति हेतु प्रसंस्करणकर्ता फर्मों/कम्पनियों को दिनांक 30.03.2020 को डी0आई0 (आपूर्ति निर्देश) निर्गत किया जा चुका है। गृह मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–40–3–2020–DM-I(A) दिनांक 02.04.2020 द्वारा (छायाप्रति संलग्न) बाल विकास विभाग को लाकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित करते हुए पत्र के बिन्दु संख्या 2(i) में निम्न निर्देश दिए हैं–

Exception under clause 2(g), include distribution of food items and nutrition support by Anganwadi workers, once in 15 days, at the doorsteps of beneficiaries – children,women and lactating mothers.

अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप शीघ्र ही प्रसंस्करणकर्ता फर्मों/कम्पनियों द्वारा परियोजना कार्यालय तक आपूर्ति कर दी जाएगी। COVID-19 (नोवेल कोरोना वायरस) के संक्रमण के दृष्टिगत सम्पूर्ण देश में चल रहे लाकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विभाग के लाभार्थियों तक/डोर–टू–डोर टेक होम राशन का सुरक्षित तरीके से वितरण कराने हेतु निदेशालय पत्र संख्या सी–321 दिनांक 20.03.2020, पत्र संख्या सी– 2988 दिनांक 31.03.2020 व शासन के पत्र संख्या–1142/58–1–20–2/13 (19)05 टीसी–1 दिनांक 31.03.2020 द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि पोषाहार वितरण में पारदर्शिता रखा जाए तथा आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा घर–घर जाकर पोषाहार वितरण के समय लाभार्थी/परिजनो के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाए।

परियोजना कार्यालय पर पोषाहार प्राप्त होने पर 48 घण्टे के अन्दर अनिवार्यतः निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण कराकर पोषाहार का वितरण फर्म के निर्धारित प्रतिनिधियों/दुलाईकर्ता के माध्यम से सुनिश्चित करायें। भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के आधार पर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों व दुलाईकर्ताओं के लाकडाउन पास जनपद स्तर से निर्गत करा दें। लाकडाउन के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा घर–घर जाकर पोषाहार वितरण के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार भी होना चाहिए, इसलिए विभाग के लाभार्थियों तक/डोर–टू–डोर टेक होम राशन का सुरक्षित तरीके से वितरण कराने हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रवार दिनांक 07 अप्रैल, 10 अप्रैल, 13 अप्रैल, 16 अप्रैल, 20 अप्रैल व 22 अप्रैल की तिथि निर्धारित की जाती है। उक्त तिथिवार आप आंगनवाड़ी केन्द्रवार एक रोस्टर जारी कर दें तथा इसकी प्रति अपने जनपद के सभी जन प्रतिनिधि गण यथा मा0 मन्त्री जी मा0 सांसद एवं मा0 विधायक गण आदि को उपलब्ध कराते हुए रोस्टरवार/तिथिवार पोषाहार वितरण का व्यापक प्रचार–प्रसार करायें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा इस प्रकार पोषाहार वितरण की परियोजनावार संकलित सूचना अपने जिलाधिकारी को अनिवार्यतः उपलब्ध करायें।

संलग्नक–यथोक्त।

(शत्रुघ्न सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या– C-2 /तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी गण उ0प्र0 को अवलोकनार्थ।
3. समस्त नोडल अधिकारी, मुख्यालय।

4-4-20
(शत्रुघ्न सिंह)
निदेशक

Scanned with CamScanner